



भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वयित एक छात्रवृत्ति योजना है। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद या माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। भारत में पढ़ने वाले छात्र छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र हैं, जो उस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, जहां से आवेदक संबंधित और अधिवासित है।

उद्देश्य:

उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए, निम्नतम परिवारों के लोगों पर ध्यान देना।

अनुसूचित जाति के छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने में सहाय बनाने के लिए मैट्रिक के बाद या माध्यमिक स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पात्रता:

छात्रवृत्तियां केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुली हैं।

छात्रों को अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए और मैट्रिक के बाद के स्तर पर पढ़ना चाहिए।

आय सीमा:

माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

छात्रवृत्ति के घटक:

राज्य सरकार की फीस निर्धारण / युक्तिकरण समिति द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क।

शैक्षणिक भत्ता:

समूह 1:

डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम

डे स्कॉलर- रु. 7000 प्रति वर्ष

छात्रावास - रु. 13500 प्रति वर्ष

समूह 3:

स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम समूह 1

और समूह 2 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

डे स्कॉलर- रु. 3000 प्रति वर्ष

छात्रावास-रु.6000 प्रतिवर्ष

समूह 2:

डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र के लिए अन्य

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

डे स्कॉलर- रु. 6500 प्रति वर्ष

छात्रावास - रु. 9500 प्रति वर्ष

समूह 4:

सभी पोस्ट-मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा के बाद)

गैर-डिग्री पाठ्यक्रम

डे स्कॉलर- रु. 2500 प्रति वर्ष

छात्रावास - रु. 4000 प्रति वर्ष

*दिव्यांग छात्रों के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता

2022-23 के लिए पंजीकरण:

- पंजीकरण के लिए पोर्टल 14 अप्रैल, 2022 से खोला गया है।



उपरी जातियों के लिए